



Neutral Citation No. - 2026:AHC:127325

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या- 19789 वर्ष 2026

अजमल और एक अन्य

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : हसन परवेज, हसन सरदार

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 45

माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक कुमार सिंह

1. आवेदकों के लिए अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
2. प्रस्तुत जमानत याचिका जिसमें मुकदमा अपराध संख्या-220 वर्ष 2026 में धारा 109(1) और 3(5) बी.एन.एस., थाना-नवाबगंज, जिला-बरेली के तहत दायर की गई है जिसमें जमानत पर आवेदकों की रिहाई की मांग की गई है।
3. आवेदकों के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष हैं और प्रस्तुत मामले में उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। उन्हें कथित तौर पर मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उनके कब्जे से या उनके कहने पर कोई हथियार बरामद नहीं हुआ। सह-आरोपी मो. यासीन खान को पुलिस मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगी थी। उप-निरीक्षक योगेंद्र सिंह के हाथ में बंदूक की चोट लगी है, हालांकि, उक्त चोट कथित तौर पर सह-आरोपी मो. यासीन खान। वर्तमान आवेदकों

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



का मामला उपरोक्त सह-अभियुक्त से अलग है। जमानत आवेदन के समर्थन में दायर हलफनामे के प्रस्तर-14 में आवेदकों के आपराधिक इतिहास को अच्छी तरह से समझाया गया है। आवेदकों के अधिवक्ता ने आगे कहा कि आवेदक 20.04.2026 से जेल में बंद हैं और यदि उन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे और मुकदमे में सहयोग करेंगे।

4. तत्स्य विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदकों को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि अपराध में उनकी संलिप्तता के संबंध में आवेदकों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, इसलिए, वे जमानत पर रिहा होने के हकदार नहीं हैं।

5. मैंने पक्षगण के प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

6. पुलिस पार्टी द्वारा गिरफ्तारी के समय आवेदकों के कब्जे से कोई हथियार बरामद नहीं किया गया था। आग्नेयास्त्र को चोट पहुंचाने की भूमिका सह-आरोपी मो. यासीन खान ने इस मामले में कहा है कि उप-निरीक्षक योगेन्द्र सिंह को लगी चोटों की प्रकृति का कोई पूरक चिकित्सा प्रतिवेदन नहीं है।

7. पक्षों के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों, आरोपों की प्रकृति, अभिलेखों पर लाए गए साक्ष्य, आवेदकों द्वारा की गई कैद की अवधि, आपराधिक पृष्ठभूमि की व्याख्या, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस न्यायालय ने पाया कि आवेदकों ने जमानत देने के लिए एक मामला बनाया है।

8. तदनुसार, जमानत आवेदन की **अनुमति** दी जाती है।

9. उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल आवेदकों- **अजमल और अबजल** को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए उनके व्यक्तिगत मुचलके और दो-दो जमानतदारों पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

(i) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दायर करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि को कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की चूक के मामले में, विचारण न्यायालय के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माना जाएगा और कानून के अनुसार आदेश पारित किया जाएगा।

(ii) आवेदक व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से निर्धारित प्रत्येक तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। उसकी अनुपस्थिति के मामले में, पर्याप्त कारण के बिना, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-क/बी.एन.एस. के तहत कार्रवाई कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और धारा 82 द०प्र०स०/84 बी.एन.एस.एस. के तहत अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तारीख को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 174-क के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 209 के तहत भारतीय दंड संहिता (भ०द०वि०) की धारा 174-क के तहत भारतीय दंड संहिता (भ०द०वि०) के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए के तहत भारतीय दंड संहिता (भ०द०वि०) के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 174 के तहत उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदक (1) मामले को खोलने, (2) आरोप तय करने और (3) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313/351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए इस तरह की चूक को जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माना जाएगा और कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

10. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदकों को जमानत देने में की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विचारण न्यायाधीश को प्रभावित नहीं करेंगी।



(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

15 जून 2026

राधिका

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!